आरईसी लिमिटेड

पर्यावरण, सामाजिक

और

शासन (ईएसजी) नीति

(31.05.2024 को हुई 515वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के अनुसार संशोधित)

विषय-वस्तु

1. **परिचय**.....1
2. **दृष्टिकोण एवं नीति शासन** 1
3. **संकेंद्रित क्षेत्र**.....2

3.1 पर्यावरणीय दृष्टिकोण..... 2

3.2 पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम प्रबंधन..... 3

3.3 खरीद कार्यप्रणाली.....3

3.4 सशक्त कार्यबल का निर्माण करना.....4

3.5 ग्राहक अनुभव में वृद्धि.....6

3.6 समुदाय एवं समाज.....6

3.7 हितधारकों के प्रति पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व..... 7

3.8 निगम शासन.....7

4. **ईएसजी प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग** 9

1. परिचय

आरईसी लिमिटेड (जिसे आगे "आरईसी," "कंपनी," "हम," "हमें" "हमारा" कहा जाएगा) ने 1969 से अपनी शानदार यात्रा में देश के लिए बिजली अवसंरचना परिसंपत्तियों के वित्तपोषण और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा करते हुए, आरईसी ने साल दर साल वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन में उत्कृष्टता हासिल की है और प्रतिष्ठित "महारत्न" का दर्जा प्राप्त एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में प्रतिष्ठित है। 4 ट्रिलियन रुपये के लोन बुक और 100 बिलियन रुपये के निवल लाभ के साथ, आरईसी भारत की शीर्ष दस लाभ कमाने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से एक है।

जैसा कि हमेशा होता रहा है, यह जरूरी है कि आरईसी पर्यावरण, ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालने और पर्यावरण और समाज के प्रति टिकाऊ होने की अपनी प्रतिबद्धता में मजबूत रहे। हाल के वर्षों में, परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और टिकाऊ विकास में संक्रमण के लिए अनुकूलन करना वैश्विक स्तर पर प्रमुख फोकस के रूप में उभरा है। इसके अलावा, बाढ़ जोखिम और समुद्र के बढ़ते स्तर, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा, जनसांख्यिकीय बदलाव और नियामक दबाव जैसी वैश्विक स्थिरता चुनौतियां निवेशकों के लिए नए जोखिम कारक पेश कर रही हैं जो पहले नहीं देखी गई होंगी। चूंकि कंपनियां वैश्विक स्तर पर बढ़ती जटिलता का सामना कर रही हैं, इसलिए निवेशक पारंपरिक निवेश दृष्टिकोणों का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए, ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) की अवधारणा में कंपनियों के लिए विभिन्न पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन नियामक जोखिम का अनुपालन करते हुए अपने निवेशकों के साथ-साथ हितधारकों के प्रति जिम्मेदार बने रहने के लिए समग्र दृष्टिकोण शामिल है।

यह नीति ढांचा आरईसी के अपने व्यापारिक भूमिका के निर्वहन में अपनी रणनीति, प्रक्रियाओं और प्रकटीकरणों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ईएसजी मानकों के अनुरूप बनाने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।

2. दृष्टिकोण एवं नीति शासन

नीतिगत ढांचा ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों, नियामकों, व्यापार भागीदारों और समुदाय के सदस्यों सहित आंतरिक और बाह्य हितधारकों के लिए ईएसजी और मूल्य सृजन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) समिति का गठन सीएमडी आरईसी द्वारा किया जाएगा, जिसमें आरईसी में निम्नलिखित विभागों के प्रमुखों का प्रतिनिधित्व होगा जैसे राज्य संचालन, निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, नया बुनियादी ढांचा और रसद, संपदा, प्रशासन, पीसीएम, मानव संसाधन, सीएसआर और आईटी। समिति ईएसजी नीति ढांचे के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी और कार्यों में ईएसजी प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और प्रबंधन को समय-समय पर रिपोर्ट के माध्यम से प्रगति को बताएगी। ईएसजी नीति आउटपुट की निगरानी बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाएगी।

ईएसजी नीति ढांचा सभी ईएसजी पहलों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा और आरईसी द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ। यह फ्रेमवर्क आरईसी की सहायक कंपनी सहित भारत में आरईसी के केवल संचालन को कवर करती है।

इस फ्रेमवर्क दस्तावेज़ में उल्लिखित ईएसजी नीतियाँ और संकेंद्रित क्षेत्र, उभरते जोखिमों और अवसरों के आधार पर संशोधन के अधीन हो सकते हैं, जैसा कि ईएसजी समिति द्वारा उपयुक्त समझा जाता है। इस नीति की वार्षिक या उससे पहले समीक्षा की जाएगी, जैसा कि इसकी उपयुक्तता के लिए आवश्यक है और आवश्यकतानुसार इसे अपडेट किया जाएगा।

3. संकेंद्रित क्षेत्र

3.1 पर्यावरणीय दृष्टिकोण

आरईसी पर्यावरण प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और पर्यावरण में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करता है। हम लागू पर्यावरण कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। अपने पर्यावरण प्रदर्शन की निगरानी के लिए, हम अपने पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हमारी पर्यावरण नीति का दायरा हमारे अपने संचालन के साथ-साथ आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के साथ हमारे संबंधों को भी कवर करता है।

3.1.1 ऊर्जा एवं उत्सर्जन

आरईसी भारत में अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी और 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप, आरईसी ने पूरे देश में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण के लिए विभिन्न नीतियां शुरू की हैं, जिनमें सौर, पवन, बायोमास परियोजनाएं और ई-मोबिलिटी शामिल हैं। आरईसी अक्षय परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण को बढ़ावा देना जारी रखेगी। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कंपनी की नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, ताकि इसकी लगातार विकसित और गतिशील जरूरतों को पूरा किया जा सके।

इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, आरईसी अपने स्वयं के परिचालनों के लिए डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए पहलों को लागू करने का प्रयास करेगी।

3.1.2 हरित ऊर्जा/ऊर्जा दक्षता पहल

जलवायु परिवर्तन से निपटने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की हमारी रणनीति में, हम अपनी ऊर्जा खपत की निगरानी और उसे कम करने की पहल करके अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने का प्रयास करेंगे। हमारी पहल का लक्ष्य होगा:

- अपने कार्यालयों और परिसरों में सौर ऊर्जा को अपनाना
- जहां लागू हो, वहां ऊर्जा कुशल भवन डिजाइन को शामिल करना।
- ऊर्जा खपत को कम करने के लिए स्वचालित ऊर्जा प्रबंधन समाधान लागू करना।
- . कम बिजली की खपत करते हुए अधिकतम प्रदर्शन के लिए मौजूदा उच्च ऊर्जा खपत वाले उपकरणों और उपस्करों का नवीनीकरण करना।

3.1.3 अपशिष्ट

आरईसी को सबसे ज़िम्मेदाराना तरीके से कचरे का निपटान करने का प्रयास करना चाहिए। ई-कचरे के रूप में पहचाने जाने वाले पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड के तहत पंजीकृत रिसाइकलर्स/री-प्रोसेसर्स के माध्यम से किया जाएगा।

आरईसी अपने परिचालन, लेन-देन और ग्राहक संचार में कागज के उपयोग के प्रति सचेत है। सेवा और उत्पाद लाइनों में डिजिटल होने के हमारे प्रयास से कागज की खपत कम होती रहेगी, जिससे कागज की बर्बादी कम होगी। कागज की बर्बादी को कम करने के लिए बड़े कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा प्रिंटिंग और फोटोकॉपी संचालन की निगरानी और विनियमन भी जारी रहेगा।

.

आरईसी अपने कार्यालयों, शाखाओं के साथ-साथ अपने प्रचार, विपणन और आउटरीच कार्यक्रमों में सभी प्रकार के प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का प्रयास करेगी। आरईसी की योजना 2024 तक पूरे भारत में अपने सभी कार्यालयों से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की है।

3.2 पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम प्रबंधन

आरईसी अपनी परियोजना और इकाई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में ईएसजी कारकों को एकीकृत करके पर्यावरण (जलवायु सहित), सामाजिक और शासन संबंधी जोखिमों के प्रति अपने जोखिम को सीमित करेगा। हम उधार लेने वाली इकाई के शासन की जवाबदेही, पारदर्शिता और मजबूती सुनिश्चित करेंगे। संबंधित व्यावसायिक विभाग मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए एक ईएसजी चेकलिस्ट तैयार करेंगे। हमारी इकाई मूल्यांकन प्रक्रिया इस बात की जांच करती है कि उधारकर्ता/प्रमोटर/उधारकर्ता कंपनी के निदेशकों के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण मुकदमा लंबित है या नहीं और प्रमोटर कंपनी के निदेशकों के अनुभव और योग्यता का आकलन करती है।

पर्यावरण के प्रति जागरूक दृष्टिकोण निगम दायित्व, हितधारकों की समावेशिता और व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता का एक बुनियादी पहलू है। आरईसी अपने परिचालन, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन में पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी विचारों को शामिल करता है।

आरईसी वित्तीय फैसले लेते समय सतत विकास लक्ष्यों तथा आवश्यक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्कओं के अनुरूप कार्य करेगी।

आरईसी यह सुनिश्चित करेगा कि आरईसी ऋण की अवधि के दौरान, उधारकर्ता पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक (ईएचएसएस) का अनुपालन करेगा। इस संबंध में, आरईसी स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण में विभिन्न सुविधाओं के लिए ऋण समझौतों/प्रतिबंधों में उपयुक्त शर्तें निर्धारित करेगा।

अन्य परियोजना ऋणों में, आरईसी यह सुनिश्चित करेगी कि सुविधा के संवितरण से पहले, लागू कानून के सभी प्रावधान और देश के कानून के अनुसार मंजूरी उधारकर्ता द्वारा प्राप्त कर ली जाए।

3.3 खरीद कार्यप्रणाली

आरईसी अपशिष्ट को कम करने, दक्षता में सुधार करने, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और मानवाधिकारों और श्रम प्रथाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को समझने के लिए हमारे आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता को पहचानता है। इस प्रकार हम अपनी खरीद प्रथाओं में पर्यावरण और सामाजिक विचारों के अधिक एकीकरण की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईएस) आदेश, 2018 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू को एमएसई क्षेत्र से 25% खरीद का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तदनुसार, आरईसी एमएसई से न्यूनतम 25% खरीद और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपनी खरीद नीति को संरेखित करना जारी रखेगा।

आरईसी ऐसे उत्पादों की खरीद का प्रयास करेगी–

- जिनका पुनर्नवीनीकरण हो सके
- जो पर्यावरण के अनुकूल हो
- जो कुशल ऊर्जा हो
- जो स्थानीय स्रोत हो

आरईसी विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं से यह स्पष्ट अपेक्षा भी रखेगा कि वे अपने व्यवसाय के क्षेत्रों में श्रम कानूनों, मानवाधिकारों और विनियमों का पालन करें। उनसे बाल, जबरन या तस्करी से संबंधित कानूनों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

3.4 सशक्त कार्यबल का निर्माण करना

3.4.1 गैर-भेदभावपूर्ण एवं उचित व्यवहार

आरईसी एक विविधतापूर्ण, समावेशी और न्यायसंगत कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ सभी कर्मचारी और हितधारक, चाहे उनकी आयु, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता, यौन अभिविन्यास, भाषा अंतर, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जाति, जातीयता, धार्मिक विश्वास, सामाजिक-आर्थिक वर्ग, शिक्षा या अन्य व्यक्तिगत अंतर कुछ भी हों, शामिल, मूल्यवान और सम्मानित महसूस करते हैं। हम अपने सभी कर्मचारियों को निष्पक्ष और समान रोजगार और उन्नति के अवसर प्रदान करेंगे। हम एक निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं जो हमें सही मूल्यों वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें नियुक्त करने में मदद करती है, जिन्हें फिर वित्तीय और गैर-लाभकारी संगठनों के संयोजन के माध्यम से तैयार, प्रोत्साहित और बनाया जाता है, जिससे वे निगम के लिए एक मूल्यवान परिसंपत्ति बन सकें।

आरईसी यौन उत्पीड़न और गैर-यौन उत्पीड़न सहित सभी प्रकार के उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है तथा उत्पीड़न और भेदभाव के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति रखता है।

हम सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर भेदभाव न करने और उत्पीड़न विरोधी विषयों पर वार्षिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

हमारे पास घटनाओं की रिपोर्टिंग, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र और वृद्धि प्रक्रिया है। भेदभावपूर्ण व्यवहार या उत्पीड़न के मामलों में समय पर सुधारात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, जिससे सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा मिलता है। आरईसी पिछले वित्तीय वर्ष में समीक्षा की गई भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या का खुलासा करके पारदर्शिता भी बनाए रखता है।

यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे मामलों में हमारी नीतियों के अनुसार उचित सुधारात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

3.4.2 करियर में प्रगति और कर्मचारी लाभ

कंपनी लिंग, जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, शारीरिक क्षमता और सैन्य/अनुभवी स्थिति में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी संस्कृति बनाना जारी रखेगी। करियर विकास को प्रोत्साहित करने, कर्मचारियों को कौशल बढ़ाने में मदद करने और उनके प्रतिभा पूल की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, कंपनी के पास प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, पदोन्नति नीति और नौकरी रोटेशन नीति है। आरईसी अपने मानव संसाधन प्रथाओं को सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं के साथ संरेखित करने और अन्य महारत्न सीपीएसई के बराबर करने का प्रयास करता है, जैसे कि लचीले कार्य घंटे, अध्ययन अवकाश, विश्राम नीति, कर्मचारी पुरस्कार प्रणाली आदि।

कर्मचारी लाभ कार्यस्थल पर प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं और कंपनी में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को बनाए रखते हैं। आरईसी सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों को विभिन्न अल्पकालिक, दीर्घकालिक और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ प्राप्त हों। आरईसी सभी पात्र कर्मचारियों को सरकारी मानदंडों के अनुसार भुगतान किए गए पैतृक अवकाश प्रदान करता है। आरईसी रियायती दरों पर कर्मचारियों को ऋण भी प्रदान करता है। आरईसी अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों आदि के लिए कम ब्याज दरों जैसे स्थिरता-उन्मुख कर्मचारी लाभ प्रदान करके बेहतर पर्यावरणीय विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

3.4.3 कर्मचारी स्वास्थ्य एवं कल्याण

आरईसी सभी लागू स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियमों एवं मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हम सभी कर्मचारियों और सभी परिचालनों में व्यक्तियों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास करते हैं। आरईसी अपने कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित उद्योग की सर्वोत्तम नीतियों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने सभी कर्मचारियों को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, उचित स्वास्थ्य सेवा लाभ और चिकित्सा कवर आदि पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना जारी रखता है। आरईसी अपने कर्मचारियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच आयोजित करना जारी रखेगा। आरईसी कर्मचारी उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त क्रेच और डे केयर सुविधाएं प्रदान करेगा।

स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन में लगातार सुधार करना, प्राथमिकता और कार्य योजनाएँ स्थापित करना और सुधार के लिए मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करना हमारा सर्वोत्तम प्रयास है।

3.4.4 कर्मचारी नैतिकता एवं आचार संहिता

आरईसी के पास कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक दबाव या मौखिक दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, दासता सहित अमानवीय व्यवहार से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए तंत्र हैं। यह आचार संहिता और नैतिकता मैनुअल द्वारा निर्देशित है, जो सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध एक आंतरिक दस्तावेज़ है। आरईसी के आचरण विनियम भी अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं, वित्तीय लेनदेन, पेशेवर आचार संहिता और प्रबंधन कार्रवाई को परिभाषित करते हैं, जो अपने कर्मचारियों के बीच अच्छी अखंडता और नैतिकता की संस्कृति को बढ़ावा देना जारी रखेगी।

3.4.5 महिला सुरक्षा

आरईसी के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) पर शून्य सहनशीलता नीति रखता है, ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और इस संबंध में किसी भी उल्लंघन का समाधान किया जा सके और एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) है जो यौन दुर्व्यवहार के मामलों की जांच करती है, यदि कोई हो और निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उनकी जांच करती है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आरईसी सभी महिला कर्मचारियों, विशेष रूप से उन महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना जारी रखेगी, जिन्हें व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण देर तक काम करना पड़ता है।

3.4.6 प्रशिक्षण एवं विकास

आरईसी निरंतर कौशल उन्नयन और कर्मचारी विकास का समर्थन करने के लिए मानव पूंजी में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरईसी प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यबल के व्यवसाय-संबंधित कौशल विकास का समर्थन करना जारी रखता है। कर्मचारी कैरियर विकास को समय-समय पर उद्योग-संबंधित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ और कर्मचारियों को बाहरी संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले प्रासंगिक पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करके समर्थित किया जाएगा, जहाँ भी लागू हो।

आरईसी एक ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास के अवसरों को बढ़ावा देता है।

3.4.7 शिकायत निवारण

आरईसी अपने हितधारकों अर्थात कर्मचारियों, ग्राहकों, निवेशकों और आम जनता के लिए विभिन्न शिकायत निवारण तंत्रों को प्रभावी ढंग से लागू करता है, जिसका समाधान कर्मचारी शिकायत निवारण नीति; ग्राहकों के लिए आरईसी निष्पक्ष व्यवहार संहिता; निवेशक/शेयरधारकों के लिए सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (एससीओआरईएस); और आम जनता के लिए लोक शिकायत विभाग के तहत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से किया जा रहा है। हितधारक शिकायत निवारण पर एक व्यापक एकीकृत दस्तावेज़, जिसमें सभी मौजूदा शिकायत तंत्रों को शामिल किया गया है, सभी संबंधित लोगों की आसान पहुँच के लिए आरईसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

आरईसी कर्मचारियों की चिंताओं और फीडबैक को हल करने के लिए पर्याप्त शिकायत निवारण चैनल स्थापित करेगी। आरईसी इसके समाधान के लिए एक समर्पित कर्मचारी शिकायत निवारण समिति का भी गठन करेगी।

3.5 ग्राहक अनुभव में वृद्धि

ग्राहक केन्द्रितता आरईसी के व्यावसायिक लोकाचार और मूल्य सृजन प्रस्ताव के मूल में है। कंपनी एक एनबीएफसी है जो वित्तीय उत्पाद पेश करती है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऋण समझौतों और दस्तावेज़ीकरण और कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से अपने उधारकर्ताओं को पर्याप्त खुलासे किए जाएं। एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी आरबीआई द्वारा अनिवार्य निष्पक्ष व्यवहार संहिता का भी पालन करती है, जो ऋण के लिए आवेदन और उनकी प्रक्रिया, ऋण स्वीकृति, संवितरण, संवितरण के बाद पर्यवेक्षण और शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित मामलों में उधारकर्ताओं के साथ पालन की जाने वाली निष्पक्ष ऋण प्रथाओं को निर्धारित करती है।

इसके अलावा, आरईसी के पारदर्शी और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र ग्राहकों की चिंताओं और फीडबैक को हल करना सुनिश्चित करते हैं और गलत संचार की रोकथाम, ग्राहकों की वित्तीय सुरक्षा और ग्राहक डेटा गोपनीयता पर अपने कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना जारी रखेंगे।

इस दिशा में, आरईसी के व्यावसायिक प्रभाग एक ग्राहक फीडबैक फॉर्म तैयार करेंगे और सुनिश्चित करें कि ऐसे फीडबैक फॉर्म सभी बड़े ग्राहकों से प्राप्त किए जाएं जिसके द्वारा वर्ष के दौरान धनराशि वितरित की गई है।

आरईसी ग्राहकों की अपेक्षाओं और प्रतिस्पर्धा से आगे निकलकर उन्हें सर्वोत्तम ग्राहक अनुभव प्रदान करने का प्रयास करेगा।

3.6 समुदाय एवं समाज

एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, आरईसी का लक्ष्य अपने आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करके समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप कंपनी के पास एक अच्छी तरह से परिभाषित **'निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति'** है। आरईसी एक वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 में अनिवार्य सीएसआर बजट को पूरी तरह से खर्च करने का प्रयास करता है। आरईसी अपने कर्मचारियों को सामाजिक उत्थान में सक्रिय रूप से भाग लेने और योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

आरईसी के सीएसआर फंड को 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से चलाया जाता है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी है। सभी सीएसआर पहल लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंचने के लिए सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके अपनाई जाती हैं। आरईसी अपनी सीएसआर गतिविधियों को व्यापक रूप से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय स्थिरता, सफाई और स्वच्छता, ग्रामीण ढांचागत विकास आदि को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में करता है। इसके अलावा, आरईसी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विभिन्न आकांक्षी जिलों में कुपोषण को कम करने में भी योगदान देता है।

सरकार द्वारा सलाह दिए गए सकेंद्रित विषयगत क्षेत्र और समय-समय पर सलाह दिए गए अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अनुरूप, आरईसी ऐसी परियोजनाओं की पहचान करने और हर साल आवश्यक धनराशि खर्च करने का प्रयास करेगा।

3.7 हितधारकों के प्रति पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व

आरईसी यह सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि निर्णय लेते समय सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखा जाए। कंपनी हितधारकों की अपेक्षाओं और चिंताओं को समझने और उनकी शिकायतों का निष्पक्ष और रचनात्मक तरीके से समाधान करने के लिए प्रणालियां, प्रक्रियाएं और तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

व्हिसल ब्लोअर नीति के माध्यम से, आरईसी कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों सहित विभिन्न हितधारकों को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना जारी रखेगा ताकि हमारी आचार संहिता के उल्लंघन/समझौते से जुड़े किसी भी मुद्दे को कंपनी के ध्यान में लाया जा सके। / नैतिक मानदंड, प्रतिशोध, प्रतिशोध, भेदभाव या उत्पीड़न के डर के बिना कानूनी या वैधानिक प्रावधान। आरईसी कर्मचारियों के बीच ईमानदारी और ईमानदारी को अनुकूलित करने और सभी परिचालन क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करता है। आरईसी के सतर्कता प्रभाग का उद्देश्य मुख्य रूप से नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर बैठे कर्मचारियों के रोटेशन और स्थानांतरण, ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा, परियोजनाओं की समीक्षा, निविदाओं और दिए गए अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) की समीक्षा करके 'निवारक सतर्कता' है।) आदि।

3.8 निगम शासन

आरईसी का मानना है कि नैतिक और पारदर्शी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानक अधिक प्रभावशीलता और दक्षता और बेहतर व्यावसायिक परिणामों की ओर ले जाते हैं।

आरईसी सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करेगा और अधिकांश स्वैच्छिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेगा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर आवश्यकताएं जो इसके दायरे में हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम"), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगम शासन पर दिशानिर्देश, 2010 के तहत निर्धारित है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा ("निगम शासन पर डीपीई दिशानिर्देश") और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक ("सचिवीय मानक")।

आरईसी की आचार संहिता व्यावसायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता का आधार बनती है। आरईसी आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम सुनिश्चित करता है, जो सभी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को परिभाषित करता है; और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कदाचार के रूप में मान्यता देता है। आरईसी अपनी आचार संहिता के माध्यम से नैतिक रूप से सुदृढ़ सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग, हितों का टकराव, अंदरूनी व्यापार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भेदभाव, सूचना की गोपनीयता, प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाएं, व्हिसलब्लोइंग, समुदाय शामिल हैं। विकास और पर्यावरण संरक्षण।

आरईसी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उचित नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करेगा। आरईसी उभरती प्रौद्योगिकी और नियामक परिदृश्य के अनुकूल आईटी प्रशासन, बुनियादी ढांचे और नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरईसी का आईटी कार्य आईटी और सूचना सुरक्षा नीति और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करता है। यह मजबूत व्यवसाय निरंतरता योजनाओं और घटना प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के साथ समर्थित होगा।

आरईसी सभी लागू कानूनों के अनुपालन में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष, समान और सार्वभौमिक प्रकटीकरण और प्रसार के लिए भी प्रतिबद्ध है। तदनुसार, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए प्रथाओं और प्रक्रियाओं का कोड उन घटनाओं और घटनाओं का खुलासा सुनिश्चित करता है जो बाजार में मूल्य खोज को प्रभावित करेंगे, ऐसी जानकारी को आम तौर पर उपलब्ध कराने के लिए विश्वसनीय और ठोस जानकारी अस्तित्व में आने से पहले नहीं होगी।

आरईसी सर्वोत्तम मान्यता प्राप्त कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को अपनाना और उनका पालन करना जारी रखेगा और लगातार दुनिया भर में सर्वोत्तम श्रेणी की प्रथाओं के साथ खुद को बेंचमार्क करेगा।

3.8.1 भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी नीति

हमारी भ्रष्टाचार-विरोधी और रिश्वत-विरोधी प्रथाएं सीवीसी सतर्कता मैनुअल और आरईसी सतर्कता पुस्तिका द्वारा निर्देशित होती हैं, जो रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार पर शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में भी कार्य करती है। आरईसी कठोर जोखिम मूल्यांकन, आंतरिक नियंत्रण और रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार पर त्वरित शिकायत समाधान पर एक तंत्र स्थापित करता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए सभी कर्मचारी नियमित प्रशिक्षण से गुजरते हैं। हम अनुबंध भुगतान के किसी भी हिस्से पर किसी भी रूप में रिश्वतखोरी (रिश्वतसहित) के प्रति शून्य-सहिष्णुता रखते हैं। हम किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीतिक योगदान, धर्मार्थ योगदान या प्रायोजन में संलग्न नहीं हैं। नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए हमारे सभी व्यापारिक व्यवहारों की जांच की जाती है।

3.8.2 बोर्ड में विविधता

आरईसी मानता है कि निदेशकों के परिप्रेक्ष्य, व्यावसायिक अनुभव, लिंग और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में विविधता समग्र रूप से बोर्ड की क्षमता का विस्तार करेगी और निदेशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कौशल और निर्णय को संतुलित करेगी, जिससे बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा।

आरईसी लगातार प्रयास करता है कि ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता के उच्च मानकों के साथ विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उसके बोर्ड में नियुक्त किया जाए और वह न्यायसंगत निर्णय लेने के लिए समावेशी प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देगा।

3.8.3 कर नीति

भारत सरकार विभिन्न कर संबंधी अधिनियम/दिशानिर्देश/अधिसूचनाएं जारी करती है और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते आरईसी समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे सभी दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं आदि का अनुपालन करने के लिए बाध्य है।

3.8.4 पारिश्रमिक और क्लॉबैक:

आरईसी निश्चित और परिवर्तनीय वेतन संरचनाओं दोनों को शामिल करते हुए एक व्यापक पारिश्रमिक नीति रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आरईसी सभी मुआवजे के मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए समान पुरस्कार मिले। इसके अतिरिक्त, संक्रमण के माध्यम से कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए समाप्ति भुगतान और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाते हैं।

बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों का पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। आरईसी ने सभी कर्मचारियों के लिए आचरण अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमों को अच्छी तरह से परिभाषित किया है। जहां तक कर्मचारियों को किए गए गलत अतिरिक्त भुगतान की वसूली का संबंध है, यदि कोई हो, तो आरईसी इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का पालन करता है। इसके अलावा आरईसी सीडीए नियमों के खंड 28.1.4 के अनुसार कर्मचारी लापरवाही या आदेश के उल्लंघन के कारण निगम को होने वाले किसी भी आर्थिक नुकसान की पूरी या आंशिक वसूली अपने वेतन से करने के लिए बाध्य हैं।

इस नीति में **अनुलग्नक I** में उल्लिखित उपरोक्त फोकस क्षेत्रों के संबंध में कार्रवाई बीडीएम विभाग द्वारा समन्वित की जाएगी और अर्धवार्षिक आधार पर प्रबंधन को रिपोर्ट की जाएगी।

4.ईएसजी प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग

10 मई, 2021 के सेबी परिपत्र में परिभाषित व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) संरचना के अनुसार या समय-समय पर किसी भी शासी निकाय द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों/निर्देशों के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। सीएस प्रभाग द्वारा. कार्यान्वयन के पहले वर्ष के अंत में और उसके बाद आवश्यकता के आधार पर नीति ढांचे की समीक्षा की जाएगी, ताकि इसकी निरंतर उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

******

अनुलग्नक I

ईएसजी नीति की रिपोर्टिंग के लिए संबंधित विभाग।

संकेंद्रित क्षेत्र	**संबंधित विभाग**
3.1. जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीति: • ऊर्जा और उत्सर्जन • हरित ऊर्जा/ऊर्जा दक्षता पहल • ई-अपशिष्ट	आरई विभाग संपदा/ प्रशासन आईटी
3.2 पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम प्रबंधन	एसओपी / पीएसपीएम
3.3 खरीद कार्यप्रणाली	पीसीएम
3.4 सशक्त कार्यबल का निर्माण करना • गैर-भेदभावपूर्ण एवं उचित व्यवहार • करियर में प्रगति और कर्मचारी लाभ • कर्मचारी स्वास्थ्य एवं कल्याण • कर्मचारी नैतिकता एवं आचार संहिता • महिला सुरक्षा • प्रशिक्षण एवं विकास • शिकायत निवारण	एचआर
3.5 ग्राहक अनुभव में वृद्धि	एसओपी/ पीएसपीएम/क्षेत्रीय कार्यालय
3.6 समुदाय एवं समाज	सीएसआर
3.7 हितधारकों के प्रति पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व	सतर्कता
3.8 निगम शासन	सीएस/आईटी